क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 / 2045

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 18 / 02 / 2019

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
MIS Cell,
स्टेट डाटा सेन्टर,
सिहावा भवन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साईट (Web Site) में अपलोड किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– अधीक्षण अभियंता (बोधी) के पत्र क्र. 581 / बो.प्र. / नि.स. / 2013 / 1920 दिनांक 15.02.2019

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर इस प्रकोष्ठ को अवगत करावें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।
(24 पृष्ठ)

18.2.19

(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 /
रायपुर, दिनांक / 02 / 2019

प्रतिलिपि :–

अधीक्षण अभियंता (बोधी) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर, सिहावा भवन परिसर, रायपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।

सहपत्र :– शून्य।

(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 581/बो.प्र./नि.स./2013/ 1920
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 15/02/2019

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साइट (Web site) में अपलोड किये जाने बाबत्।

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि प्रथम अपील प्रकरणों वर्षान्त 2018 (छायाप्रति संलग्न) के निराकरण आदेश की प्रति को सूचना के अधिकार "वेब साइट" में अपलोड किये जाने की कार्यवाही कराते हुए इस प्रकोष्ठ को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार
(23 पृष्ठ)

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ. क्र. 581/बो.प्र./नि.स./2013/
रायपुर, दिनांक 14/2 /02/2019

प्रतिलिपि :–

कार्यपालन अभियंता (MIS Cell) स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता/-
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

सम्बन्धित नस्ती (वार्षिक प्रति० 2018) के साथ प्रस्तुत करें।
15/2/19

D:\Suchna ka Adhikar 2005.docx

अपीलार्थिनी प्रकरण
सम्यक-स्पष्ट

क्रमांक 129 / बो.प्र. / नि.स. / 2018 / 1703

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 30 / 01 / 2018

अपीलार्थिनी
कु. परमेश्वरी पैकरा,
ग्राम–कसडोल (कड़हापारा)
जिला–बलौदाबाजार,
भाटापारा (छ.ग.)
मो.न. 96698–98805

— विरुद्ध —

प्रतिअपीलार्थी
श्री एस.के. विश्वकर्मा
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

1. कु. परमेश्वरी पैकरा, ग्राम–कसडोल (कड़हापारा), द्वारा अपने दिनांक 07.12.17 को जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर से दो बिन्दुओं की जानकारी दिये जाने हेतु मांग की थी। जो समय पर अपूर्ण जानकारी दिये जाने जाने से व्यथित होकर यह प्रथम अपील आवेदन पर दिनांक 10.01.2018 उचित कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किए हैं।

2. प्रकरण के अवलोकन पश्चात् उभय पक्षों को प्रकरण की सुनवाई हेतु दि. 19.01.2018 को उपस्थित होने हेतु आदेश क्र. 967, दि. 16.01.2018 द्वारा आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के पालन में जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए। अपीलार्थी अनुपस्थित रहीं। टेलीफोन पर सूचना के अनुसार उन्हें सुनवाई हेतु एक अवसर दिनांक 25.01.2018 को इस कार्यालय के आदेश क्र. 1344, दिनांक 23.01.2018 द्वारा दिया गया। आदेश के पालन में जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए। अपीलार्थिनी अनुपस्थित रहीं। टेलीफोन से संपर्क करने पर संपर्क नहीं हो सका। अतः प्रकरण पर जनसूचना अधिकारी को सुना गया।

3. जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया गया है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई दो बिन्दुओं की जानकारी के संबंध में प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पत्र क्र. 4112275 / 190 / छ.ग. / 2017 / 984, रायपुर दिनांक 16.01.2018 द्वारा प्रदाय किया गया। अन्य कोई जानकारी प्रकरण से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण पर कार्यवाही मंत्रालयीन स्तर पर लंबित है।

4. प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण श्री रघुवीर सिंह, पिता खेलार सिंह, उप–अभियंता सुकमा द्वारा प्रथम पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी रखने के विरूद्ध की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही पर दो बिन्दुओं की जानकारी अपीलार्थिनी द्वारा मांगी गई थी। अपीलार्थिनी को सुनवाई हेतु दो अवसर दिया गया, किन्तु अपीलार्थिनी अनुपस्थित रही। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी अपीलार्थी को पैरा 3 में दिये संदर्भानुसार दिया गया है। अन्य कोई

30/1

जानकारी प्रकरण से संबंधित प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण मंत्रालय स्तर पर लंबित है। प्रकरण से संबंधित अधिक जानकारी हेतु आवेदक द्वारा पृथक आवेदन मंत्रालय में प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाना उचित होगा।

5. अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि प्रकरण पैरा (4) के अनुसार प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे तथा संबंधित को तदानुसार सूचित किया जावे तथा की गई कार्यवाही से इस कक्ष को अवगत करावें।

निर्णीत

सहपत्र :— शून्य

30.1.2018

(अनिल कुमार दुबे)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
मुख्य अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. 129/बो.प्र./नि.स./2018 /1704 रायपुर, दिनांक 30/01/2018

प्रतिलिपि :—

1. श्री एस.के. विश्वकर्मा, जन सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. कु. परमेश्वरी पैकरा, ग्राम—कसडोल (कड़हापारा) जिला—बलौदाबाजार, भाटापारा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र :— शून्य

प्रतिलिपि क्र. 2 पंजीकृत डाक से

30.1.2018

(अनिल कुमार दुबे)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
मुख्य अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर